

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितंबर, 2013

सा.का.नि. 608 (अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, त्रिपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :-

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2013 कहा जा सकेगा।
- (2) ये नियम 24.12.2012 को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007:-
(क) अनुसूची-II-क में, ताम्रिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में वेतनमान के वेतन वाले पदों में, प्रथम कॉलम में 'मणिपुर-त्रिपुरा' प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुसूची प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

त्रिपुरा

पुलिस महानिदेशक, त्रिपुरा	80,000/- रूपए (निवृत्त)
पुलिस अपर महानिदेशक	एच.ए.जी. 67,000/- 79,000/-
पुलिस अपर महानिदेशक-सशस्त्र पुलिस	एच.ए.जी. 67,000/- 79,000/-
पुलिस महानिरीक्षक-प्रशासन	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 10000/-
पुलिस महानिरीक्षक-कानून एवं व्यवस्था	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 10000/-
पुलिस महानिरीक्षक-प्रशिक्षण	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 10000/-
पुलिस महानिरीक्षक-टीएसआर तथा प्रचालन	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 10000/-
पुलिस महानिरीक्षक-आसूचना	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 10000/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-(ए.पी.)	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-(मुख्यालय)	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-(सी.आई.डी.)	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-(दक्षिणी रेंज)	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-(होम गार्ड्स)	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-(प्रशिक्षण)	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-(उत्तरी क्षेत्र)	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-एपी(ओपीएस-I)	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-एपी(ओपीएस-II)	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-ट्रैफिक(यातायात)	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-

(ख) "अनुसूची-II-भाग ख" में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में 'मणिपुर-त्रिपुरा' शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के लिए स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

त्रिपुरा

पुलिस सहायक महानिरीक्षक-मुख्यालय
पुलिस सहायक महानिरीक्षक-प्रचालन
पुलिस अधीक्षक-जिला (दक्षिणी त्रिपुरा)
पुलिस अधीक्षक-जिला (पश्चिमी त्रिपुरा)
पुलिस अधीक्षक-जिला (उत्तरी त्रिपुरा)
पुलिस अधीक्षक-जिला (ढालाई)
पुलिस अधीक्षक-विशेष शाखा
पुलिस अधीक्षक-सतर्कता
पुलिस अधीक्षक-मोबाईल टास्क फोर्स

पुलिस अधीक्षक-सीआईडी
पुलिस अधीक्षक-प्रवर्तन
पुलिस अधीक्षक-अधिप्राप्ति
पुलिस अधीक्षक-पुलिस निवर्तन
कमांडेंट-होम गार्ड्स
चितीपल पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय
पुलिस अपर अधीक्षक-विशेष शाखा
पुलिस अपर अधीक्षक-दामीण

[सं.11052/02/2013-अ.भा.से.-II(ख)]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवारं)

पाद टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 21.02.2008 की सा.का.नि. सं. 108(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 692(अ) दिनांक 27.09.2008, 589 (अ) दिनांक 20.09.2009, सा.का.नि. सं. 172(अ) दिनांक 03.03.2010, सा.का.नि. सं. 242(अ) दिनांक 30.03.2010 द्वारा संशोधित किए गए।